रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1077] नई दिल्ली, बुधवार, जून 6, 2012/ज्येष्ठ 16, 1934

No. 1077] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 6, 2012/JYAISTHA 16, 1934

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2012

विषय :– दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों के नियमन हेतु विनियम ।

(दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अन्तर्गत)

का.आ. 1297(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतदद्वारा दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों के नियमन हेतु विनियमों, जिन्हें सां. आ. 683 (ई) दिनांक 24.03.2008 और सां.आ. 1452 (ई) दिनांक 16.06.2008 द्वारा अधिसूचना सं. एफ 3(11)2004/एम.पी./पार्ट–1 के तहत अधिसूचित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है:–

संशोधन :–

खंड 5.3, 5.4, 5.6, 5.7 और 5.8 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

खंड 5.3 "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वर्ष 2007 में सेटेलाइट/हवाई सर्वेक्षण द्वारा लिए गए चित्रों को आवासीय सोसायटी द्वारा प्रस्तुत किए गए ले आउट प्लान में अध्यारोपित (सुपरइम्पोजिंग) करके 50 प्रतिशत से अधिक निर्मित क्षेत्र वाली प्रत्येक निर्धारित कालोनी की सीमाओं को अंतिम रूप देगी । यदि कालोनी की सीमाएँ सेटेलाइट चित्रों में दर्शाए गए बरसाती नालों, सड़कों, रेलवे लाइनों, नालों और बाई लेनों जैसे किसी भौतिक स्थान के साथ हों, तो सीमाएँ ऊपर उल्लिखित भौतिक स्थानों के साथ–साथ निर्धारित की जाएँगी ।"

खंड 5.4:– "ले आउट प्लान पर सीमाएं (बाउन्डरीज) निर्धारित करने के बाद, जैसा कि पैरा 5.3 में दिया गया है, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार लेआउट प्लानों को स्थानीय निकाय को भेजेगी । साथ ही साथ, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार सार्वजनिक भूमि पर बनी हुई उन कॉलोनियों के संबंध में भू–स्वामी एजेंसी की ओर से भूमि की लागत वसूलने के बाद, निर्धारित की गई सीमाओं (बाउन्डरीज) के अनुसार कॉलोनी को नियमित करने के आदेश जारी करेगी । भूमि की लागत भू–स्वामी एजेंसी के खाते में जमा की जाएगी । इसके बाद, दि.वि.प्रा. भूमि उपयोग में परिवर्तन करेगा और संबंधित स्थानीय निकाय लेआउट प्लान को अनुमोदित करेगा । रेज़िडेंट्स सोसाइटीज/व्यक्ति से यथा निर्धारित विकास प्रभारों का संग्रहण संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा किया जाएगा ।"

खंड 5.6:– "हटा दिया गया"

खंड 5.7:– "हटा दिया गया"

खंड 5.8:– "हटा दिया गया"

[फा. सं. एफ-3(11)2004/एम पी/पार्ट-I/वॉल्यूम-III]

असमा मंजर, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2012

Subject: Regulations for regularization of unauthorized colonies in Delhi

(Under Section 57 of DD Act, 1957)

S.O. 1297(E).—In exercise of power conferred by section 57 of Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) the Delhi Development Authority with the prior approval of Central Government hereby makes following amendments in regulations for regularization of unauthorized colonies in Delhi which were notified vide Notification No. F. 3(11)2004/ MP/ Part I vide No. S.O. 683(E) dated 24/03/2008 and No. S.O. 1452(E) dated 16/06/2008.

Amendments:-

Clauses 5.3, 5.4, 5.6, 5.7 and 5.8 are amended as follows:-

Clause 5.3: **"GNCTD will finalize the boundaries of each identified colony having more than 50% built up area, by superimposing the satellite/ aerial survey images as obtained in 2007 on the layout plan submitted by the resident**

society. In case colony boundary happens to run along any physical features such as drains, roads, railway lines, nallahs and bye- lanes as interpreted in the satellite images, then the boundary shall be fixed along the above mentioned physical feature."

Clause 5.4: "After fixing the boundaries on layout plan as in para 5.3, GNCTD will forward the layout plans to Local Body. Simultaneously, GNCTD will issue orders regularizing the colony as per the boundaries fixed after recovery of cost of land on behalf of land owning agency in respect of colonies on public land to be credited to the account of land owning agency. Thereafter, DDA will affect change in land use and local body concern shall approve the Layout Plan. Development charges as determined will be collected by Local Body concern from the Residents Societies/ individual."

Clause 5.6: "Deleted"

Clause 5.7: "Deleted"

Clause 5.8: "Deleted"

[F. No. F. 3(11)2004/MP/Pt.I/Vol.-III]
ASMA MANZAR, Commissioner-cum-Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.